

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

8
1२/२५

अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी स. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश अरोड़ा उपस्थित हुए हैं। फर्दाअहकाम डुरुस्त की जाती है। ग. 2 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथमिक पत्र दिनांक 30/8/२५ को पेश हो।

30 8
२५

वादीगण व वादीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को रुक-रुक कर 3 बार आवाम लगकर गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA अदम पेशती, अदम दायरी में खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी विवेधास्ता दिनांक 10/06/२५ भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली विणति होकार नम्बर से कम होकार दाखिल होकर हो।

राजस्व अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर

